



Food Safety and Standards Authority of India, Regional Office, Mumbai
Unit No.: 1202, 12th Floor, Hallmark Business Plaza, Bandra (East), Mumbai, Pin-400051,
Tel:- 022-40046392, 26420961/63, **E-mail:-** aomumbai@fssai.gov.in

F.No.: RCD-05006/2/2026-WRO

Dated: 9th September 2026

Instructions to Labs 01/2026

To,

All FSSAI Notified Laboratories, West Region

Subject: Directions regarding analysis of food samples by laboratories under jurisdiction of WRO, FSSAI

Dear All

The laboratories falling under the jurisdiction of West Region, FSSAI are hereby directed to comply with the following points:

1. The laboratories shall analyze all the parameters as provided under FSS (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011; FSS (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations 2011; FSS (Alcoholic Beverages) Regulations 2018 and/or other applicable regulations for a particular food commodity.
2. The laboratories shall also quantify a parameter, instead of writing only absent or present. For example- In case of β -Sitosterol instead of writing only present or absent, the same shall also be quantified.
3. The laboratories must analyze all pesticides for a food commodity including those having specific MRLs, banned pesticides and the remaining pesticides listed under FSS (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations 2011, at default MRL of 0.01 mg/kg.
4. In case laboratories are missing out any specific parameter under their NABL scope for a particular commodity, invoices must be raised by deducting the amount in a proportionate manner. For example- If 10 heavy metals are required to be tested in a particular category against the fixed testing charges of Rs. 1500/- whereas only 6 heavy metals have been tested, in such cases labs may raise an invoice for Rs. 900/- only ($1500/10 \times 6 = 900$).
- 4.1 For national surveillance plan this will further be slashed back to 50% of the total amount calculated as per point no. 4.

5. Any laboratory having incomplete scope for a given category must initiate the process for obtaining NABL accreditation for full scope as per FSSAI requirements. The laboratory must also provide tentative timeline for the same. In the intermittent period, laboratories must try to cover all other parameters for testing, even not being covered under their NABL scope for an indicative value, without seeking any remuneration.
6. By 19th September 2026, all the laboratories falling under jurisdiction of West Region must communicate to this office in the given Annexure (enclosed) in excel format w.r.t parameters available and unavailable under NABL scope for a food category to the Nodal officer for this purpose.

Details of the Nodal officer are as under:

Name: Dr Firdaus Jahan

Designation: Technical Officer

Mobile No.: 8527060785

Email: firdaus.jahan@fssai.gov.in

Kindly note that non-compliance with the above-mentioned directions shall be viewed seriously and may affect future allocation of samples to the laboratories.

This issues with the approval of the Competent Authority.

Encl: as above

Sincerely,



**Ms Jyoti Harne
Assistant Director
FSSAI, WRO, Mumbai**

Copy to:

All CLAs, AOs, CFSOs and TOs (WRO, FSSAI) (for needful compliance and due diligence while processing lab invoices)

Name of the laboratory: _____

S.No.	Food Category/ Commodity	Parameters available under NABL scope	Parameters missing under NABL scope

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई

यूनिट नं.: 1202, 12वीं मंजिल, हॉलमार्क बिजनेस प्लाजा, बांद्रा (पूर्व), मुंबई – 400051

दूरभाष: 022-40046392, 26420961/63, ई-मेल: aomumbai@fssai.gov.in

फ़ाइल नंबर: RCD-05006/2/2026-WRO

दिनांक: 9th सितम्बर, 2026

प्रयोगशालाओं को निर्देश 01/2026

सेवा में,

पश्चिमी क्षेत्र की सभी एफएसएसएआई अधिसूचित प्रयोगशालाएं

विषय: एफएसएसएआई के पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्रयोगशालाओं द्वारा खाद्य नमूनों के विश्लेषण के संबंध में निर्देश।

महोदय/महोदया,

एफएसएसएआई के पश्चिमी क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रयोगशालाओं को निम्नलिखित बिंदुओं का अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया जाता है:

1. प्रयोगशालाएं किसी विशिष्ट खाद्य वस्तु के लिए लागू खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011; खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त पदार्थ एवं अवशेष) विनियम, 2011; खाद्य सुरक्षा और मानक (मादक पेय) विनियम, 2018 तथा/या अन्य लागू विनियमों के अंतर्गत निर्धारित सभी पैरामीटरों का विश्लेषण करें।
2. प्रयोगशालाएं किसी पैरामीटर के परिणाम को केवल “अनुपस्थित” (Absent) अथवा “उपस्थित” (Present) के रूप में अंकित करने के बजाय, उसका मात्रात्मक निर्धारण (Quantification) भी करें। उदाहरणार्थ, β -Sitosterol के मामले में केवल “उपस्थित” अथवा “अनुपस्थित” लिखने के बजाय उसकी मात्रा का भी निर्धारण किया जाए।
3. प्रयोगशालाओं द्वारा किसी खाद्य वस्तु के लिए सभी कीटनाशकों (Pesticides) का विश्लेषण किया जाना अनिवार्य है। इसमें विशिष्ट MRL वाले कीटनाशक, प्रतिबंधित कीटनाशक तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, विषाक्त पदार्थ एवं अवशेष) विनियम, 2011 के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कीटनाशक, जिन पर 0.01 mg/kg की डिफॉल्ट MRL लागू होगी, भी शामिल हैं।
4. यदि किसी विशिष्ट खाद्य वस्तु के लिए प्रयोगशाला के NABL दायरे (NABL Scope) में कोई विशिष्ट पैरामीटर उपलब्ध नहीं है, तो परीक्षण शुल्क में उस पैरामीटर की अनुपलब्धता के अनुपात में कटौती करते हुए ही बिल प्रस्तुत किया जाए। उदाहरणार्थ, यदि किसी विशेष खाद्य श्रेणी में 10 भारी धातुओं (Heavy Metals) का परीक्षण किया जाना अपेक्षित है और इसके लिए निर्धारित परीक्षण शुल्क ₹1,500/- है, जबकि केवल 6 भारी धातुओं का परीक्षण किया गया है, तो ऐसी स्थिति में प्रयोगशाला द्वारा केवल ₹900/- का बिल प्रस्तुत किया जाए। $(₹1,500/10 \times 6 = ₹900/-)$

4.1 राष्ट्रीय सर्वेक्षण योजना (National Surveillance Plan) के अंतर्गत, बिंदु संख्या 4 के अनुसार गणना की गई कुल राशि में से आगे 50% की कटौती की जाएगी।

5. किसी खाद्य श्रेणी के लिए जिन प्रयोगशालाओं का NABL दायरा अपूर्ण है, उन्हें एफएसएसआई की आवश्यकताओं के अनुसार पूर्ण दायरे हेतु NABL प्रत्यायन प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ करनी होगी। प्रयोगशाला को इसके लिए संभावित समय-सीमा (Tentative Timeline) भी उपलब्ध करानी होगी। इस अंतरिम अवधि के दौरान, प्रयोगशालाओं को परीक्षण हेतु अन्य सभी पैरामीटरों को भी कवर करने का प्रयास करना चाहिए, भले ही वे उनके NABL दायरे में शामिल न हों, ताकि संकेतात्मक मान (Indicative Value) उपलब्ध कराया जा सके। ऐसे परीक्षण के लिए किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक/अतिरिक्त शुल्क (Remuneration) का दावा नहीं किया जाएगा।

6. 19 सितम्बर, 2026 तक, पश्चिमी क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी प्रयोगशालाएं संलग्न अनुलग्नक में दिए गए प्रारूप के अनुसार (एक्सेल फॉर्मेट में), खाद्य श्रेणी के लिए NABL दायरे के अंतर्गत उपलब्ध एवं अनुपलब्ध पैरामीटरों का विवरण इस प्रयोजन हेतु नामित नोडल अधिकारी को इस कार्यालय को उपलब्ध कराएं।

नोडल अधिकारी का विवरण निम्नानुसार है:

नाम: डॉ. फिरदौस जहां

पदनाम: तकनीकी अधिकारी

मोबाइल नं.: 8527060785

ई-मेल: firdaus.jahan@fssai.gov.in

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन न किए जाने को गंभीरता से लिया जाएगा तथा इससे भविष्य में प्रयोगशालाओं को नमूनों के आवंटन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,



सुश्री ज्योति हरने

सहायक निदेशक

एफएसएसआई, पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई

प्रतिलिपि:

सभी सीएलए, एओ, सीएफएसओ एवं टीओ (पश्चिमी क्षेत्र, एफएसएसआई) — आवश्यक अनुपालन एवं प्रयोगशाला के बिलों के प्रसंस्करण के दौरान उचित सावधानी हेतु।

प्रयोगशाला का नाम: _____

क्र. सं.	खाद्य श्रेणी/वस्तु	NABL दायरे के अंतर्गत उपलब्ध पैरामीटर	NABL दायरे के अंतर्गत अनुपलब्ध पैरामीटर